समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)
(निर्वाचन शाखा)
अल्पकालिन निविदा सूचना
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020

बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2020 के दौरान कैमूर जिला अन्तर्गत **कम्प्यूटर स्टेशनरी** के लिए दर निर्धारण हेतु योग्य एवं अनुभवी इच्छुक फर्मो से दो लिफाफा पद्धती के तहत् मुहरबंद लिफाफे में अलग–अलग पुनः अल्पकालिन निविदा दिनांक 21.09.2020 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

संबंधित विपत्र का अलग–अलग मुल्य 1000.00 (एक हजार) रूपये निर्धारित है, जिसे जिला निर्वाचन शाखा, कैमूर से क्रय करना अनिवार्य होगा। प्राप्त प्रत्येक निविदा जिला क्रय समिति के द्वारा निर्धारित तिथि को खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

निविदा की शर्तेः–

1. कोई भी निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये अग्रधन के रूप में नाजीर रसीद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पदनाम से देय हो प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
3. तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करना होगा। लिफाफे के उपर निविदा संख्या एवं नाम अंकित रहना अनिवार्य है। सभी पृष्ठ स्वअभिप्रमाणित करना अनिवार्य होगा।
4. सर्वप्रथम तकनिकी निविदा खोला जायेगा। तकनिकी निविदा में सफल फर्मो का ही वित्तीय निविदा लिफाफा खोला जायेगा।
5. निविदा में अंकित सामग्रियों का दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।
6. निविदा के समय आपूर्ति किये जाने वाले सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना होगा। नमूना नहीं रहने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। आपूर्ति किये गये सामग्री की गुणवता मिलान नमूना से करने के बाद ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
7. निविदादाता को आयकर रिटर्न/जी0एस0टी0 का अद्यतन एवं Shop establishment Act से अद्यतन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
8. प्रति वर्ष 5,00,000.00(पाँच लाख) रूपये का Turn Over का प्रमाण संलग्न करना होगा।
9. फर्म, उद्योग विभाग में निबंधित होना चाहिए।
10. निविदादाता को पुलिस अधीक्षक द्वारा अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
11. फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
12. फर्म को निर्वाचन संबंधी कार्य करने के लिए विगत चुनावों का अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी
13. आपूर्ति आदेश के पश्चात् जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ) के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक सामग्री उपलब्ध कराना होगा, इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय अलग से देय नहीं होगा। सामग्री की आपूर्ति/किये जाने वाले कार्य को ससमय करना होगा साथ ही समय पर कार्य नहीं करने की स्थिति में जमानत की राशि जब्त कर काली सूची में डालते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
14. समयबद्धता को देखते हुए निर्धारित L1 के दर पर किसी भी फर्म से कार्य कराने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. भुगतान की प्रक्रिया सामग्री/प्रपत्र की गुणवता के आधार पर की जायेगी।
16. बिना कारण बतायें निविदा संशोधन करने या रद्द करने अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
(विस्तृत जानकारी के लिए website-www.kaimur.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।)

11/9/20

उप निर्वाचन पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)।